मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2017–18/825 भोपाल दिनांक 20 मार्च 2018

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषयः–ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल कियान्वयन संबंधी।
संदर्भः–1. कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक–बोर्ड/समन्वय/588 दिनांक 04 जनवरी 2018।
2. कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक/नियमन/ई–मण्डी/17–18/1449–1450 दिनांक 05 फरवरी 2018।

–0–

दिनांक 18 दिसम्बर 2017 को सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेसिंग एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2017 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय में सम्पन्न आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक का स्मरण करें जिसके कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 4. के उपबिन्दु (i) "ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल कियान्वयन अंतर्गत अंचल की मण्डी समितियों में दर्ज होने के लिये शेष बचे अनुज्ञा पत्रों के बैकलॉग की प्रविष्टि को पूर्ण कर एवं राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर शेष बचे अनुज्ञा पत्रों के सत्यापन का कार्य दिनांक 15 मार्च 2018 तक अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश संदर्भित पष्ठांकनों से दिये गये। साथ ही उपबिन्दु (ii) से लेकर उपबिन्दु (vi) तक की स्थिति पर अपना अभिमत/टीप उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिसपर पालन प्रतिवेदन वर्तमान तक अप्राप्त है।

अतः अंचल स्तर पर अभियान चलाकर इस कार्य को दिनांक 23 मार्च 2018 के पूर्व पूर्ण कर लिया जाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2017–18/826 भोपाल दिनांक 20 मार्च 2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) अपर संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(03) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक एवं State Project Coordinator, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला .....(म0प्र0) :– पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरुप तत्काल बैकलॉग का कार्य पूर्ण करें/करायें।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दिनांक 18.12.2017 को सम्पन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं दिनांक 23.12.2017 को आयोजित आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण–

दिनांक 18.12.2017 को वल्लभ भवन, मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं दिनांक 23.12.2017 को मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के सभा कक्ष में आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक पावर पाइंट प्रजेंटेशन(पी.पी.टी.) के माध्यम से सम्पन्न हुई। समीक्षा में दिये गये निर्देशों का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

(01) एम.आई.एस. शाखा–

जिंसवार आवक एवं आय में 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, के अनुरुप सभी मण्डियों के लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिवेदन देवें। वर्ष 2016–17 में जिन मण्डियों की आवक तथा मण्डी फीस से आय में विगत वर्ष 2015–16 से कम रही है की सम्पूर्ण व्यवस्था, स्थिति का आंचलिक अधिकारी सत्यापन कर अभिमत सहित प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें। इसी प्रकार जिन मण्डियों की वर्ष 2017–18 अप्रेल से नवम्बर तक में जिन्सों की आवक एवं आय में गत वर्ष इसी अवधि से कम रही है का आंकलन कर समीक्षा बैठक में प्रतिवेदन देवें।

1. मण्डी समितियों की आवक –

वर्ष 2017–18 (नवम्बर 2017) एवं वर्ष 2017–18 (अप्रेल 2017 से नवम्बर 2017) तक प्रगामी रूप से जिन संभागों की जिन जिन्सों की आवक में तुलनात्मक कमी है, का कारण सहित प्रतिवेदन आंचलिक अधिकारी देवें।

संभाग का नाम	माह नवम्बर 2017 में आवक (लाख टन में)	नवम्बर 2016 में हुई आवक से प्रतिशत वृद्धि/कमी	अप्रेल 2017 से नवम्बर 2017 तक प्रगामी आवक (लाख टन में)	अप्रेल 2016 से नवम्बर 2016 में हुई प्रगामी आवक से प्रतिशत वृद्धि/कमी
भोपाल	7.59	**50.49%**	53.75	**23.54%**
इंदौर	5.56	**53.01%**	30.77	**37.67%**
उज्जैन	7.08	**113.03%**	39.33	**47.55%**
ग्वालियर	3.58	**90.45%**	26.05	**40.93%**
सागर	2.08	**193.14%**	21.44	**86.26%**
जबलपुर	5.05	**24.45%**	25.19	**20.62%**
रीवा	0.71	**85.51%**	7.83	**56.30%**
प्रदेश का योग –	**31.65**	**66.31%**	**204.36**	**37.70%**

प्रगामी आवक में कमी वाली जिन्से –

संभाग	अप्रेल 2017 से नवम्बर 2017 तक प्रगामी आवक में कमी वाली जिन्सें
भोपाल	**धान -12.71%, मूंगफली -45.03%, तिल -43.81%, कपास -73.69%, मटर अन्य -23.88%.**

इंदौर	धान -21.21%, मसूर -39.35%, अलसी -96.00%.
उज्जैन	धान -7.16%, ज्वार -67.08%.

संभाग	अप्रेल 2017 से नवम्बर 2017 तक प्रगामी आवक में कमी वाली जिन्सें
ग्वालियर	धान -8.47%, अलसी -60.36%, फल/सब्जी/मसाले -20.36%.
सागर	वनोपज -77.92%.
जबलपुर	ज्वार -49.94 %, तिल -20.53%, मसूर -25.53%, मटर अन्य -2.85%, सरसों -5.84%, वनोपज -10.35%, फल/सब्जी/मसाले -12.29 %.
रीवा	सोयाबीन -9.41%, तिल -47.76%, चना -1.23%, अलसी -31.64%. फल/सब्जी/मसाले -28.18 %.
प्रदेश	धान -4.00%, वनोपज -21.50%.

माह अप्रैल 2017 से नवम्बर 2017 तक में प्रगामी रुप से विगत वर्ष की तुलना में राज्य की कुल 257 मण्डियों में से कुल 18 मण्डियों की आवक में कमी हुई है। जिनमें प्रमुख रुप से "क" प्रवर्ग अर्थात प्रथम श्रेणी की 03 मण्डियॉ एवं "ख" प्रवर्ग अर्थात द्वितीय श्रेणी की 03 मण्डियॉ, "ग" प्रवर्ग अर्थात तृतीय श्रेणी की 03 मण्डियॉ, "घ" प्रवर्ग अर्थात चतुर्थ श्रेणी की 09 मण्डियॉ शामिल हैं, की सूची समस्त संभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है एवं इन मण्डियों का निरीक्षण एवं समीक्षा कर सम्पूर्ण स्थिति का सत्यापन कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन दिनांक 10 जनवरी 2018 के पूर्व अवश्य उपलब्ध करायें।

2. मण्डी समितियों की मण्डी फीस @2% से आय –

वर्ष 2017–18 (नवम्बर 2017) एवं वर्ष 2017–18 (अप्रैल 2017 से नवम्बर 2017) की प्रगामी की प्रगति :–

संभाग का नाम	माह नवम्बर 2017 में आय (रुपये करोड़ में)	माह नवम्बर 2016 में हुई आय से प्रतिशत वृद्धि/कमी	अप्रेल 2017 से नवम्बर 2017 तक प्रगामी आय (रुपये करोड़ में)	अप्रेल 2016 से नवम्बर 2016 में हुई प्रगामी आय से प्रतिशत वृद्धि/कमी
भोपाल	25.09	**47.36%**	189.71	**7.48%**
इंदौर	25.84	**61.24%**	144.31	**46.75%**
उज्जैन	29.77	**62.66%**	180.10	**21.45%**
ग्वालियर	15.60	**100.30%**	107.48	**34.96%**
सागर	8.93	**92.16%**	83.30	**43.05%**
जबलपुर	13.85	**61.12%**	92.62	**15.56%**
रीवा	3.08	**125.91%**	28.22	**46.21%**
प्रदेश का योग –	**122.16**	**65.64%**	**825.74**	**25.03%**

❖ माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर 2017 तक में प्रगामी रुप से विगत वर्ष की तुलना में राज्य की कुल 257 मण्डियों में से कुल 30 मण्डियों की मण्डी फीस **@2%** से आय में कमी हुई है। जिनमें प्रमुख रुप से "क" प्रवर्ग अर्थात प्रथम श्रेणी की 10 मण्डियॉं एवं "ख" प्रवर्ग अर्थात द्वितीय श्रेणी की 06 मण्डियॉं, "ग" प्रवर्ग अर्थात तृतीय श्रेणी की 03 मण्डियॉं, "घ" प्रवर्ग अर्थात चतुर्थ श्रेणी की 11 मण्डियॉं शामिल हैं, की सूची समस्त संभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है एवं इन मण्डियों का निरीक्षण एवं समीक्षा कर सम्पूर्ण स्थिति का सत्यापन कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन दिनांक 10 जनवरी 2018 के पूर्व अवश्य उपलब्ध करायें।

3. <u>भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना अंतर्गत डाटा रिपोर्टिंग :–</u>

योजना अंतर्गत माह नवम्बर 2017 (1 से 30 नवम्बर तक) में कुल 06 मण्डियों खुजनेर जिला राजगढ़, रतलाम (फल–सब्जी) जिला रतलाम, देवेन्द्रनगर जिला पन्ना, केसली जिला सागर, लौंड़ी जिला छतरपुर, रेहली जिला सागर के द्वारा भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा रिपोर्टिंग नहीं की गई है, की स्थिति पर संभागीय अधिकारियों को तत्काल इन मण्डियों से डाटा रिपोर्टिंग प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।

भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना अंतर्गत दिनांक 15 दिसम्बर 2017 तक की स्थिति में प्रदेश की चयनित 231 मण्डियों के 267 नोड्स में से सिर्फ 167 मण्डियों/नोड्स के द्वारा अपने मार्केट प्रोफाईल दर्ज/अद्यतन किये हैं जबकि 100 मण्डियों के द्वारा यह कार्य किया जाना शेष है। इस स्थिति पर संभागीय अधिकारियों को दिनांक 15 जनवरी 2018 तक यह कार्य अनिवार्य रुप से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

4. <u>ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉड्यूल</u> :–

(i) सिस्टम में दर्ज होने के लिये शेष बचे अनुज्ञा पत्रों के बैकलॉग को पूर्ण करें एवं राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के शेष बचे अनुज्ञा पत्रों के सत्यापन का कार्य दिनांक 15 जनवरी 2018 तक अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लिया जाये। साथ ही शेष अनुज्ञा पत्र अंतर्राज्यीय नाकों पर सत्यापन के लिये प्राप्त क्यों नहीं हुये का परिक्षण कर प्रतिवेदन देवें। मण्डी फीस का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र प्ररुप–9 को ई–अनुज्ञा पोर्टल में दर्ज करने के उपरांत ही भौतिक (मैन्युअल) अनुज्ञा पत्र जारी हो।

(ii) सभी आंचलिक प्रभारी एवं मण्डी सचिवों को "मण्डी रसीद अनुसार शुल्क रिपोर्ट" एवं "मण्डी शुल्क के प्रकारवार अनुज्ञा पत्र रिपोर्ट" तथा "अनुज्ञा पत्र शुल्क रिपोर्ट" की प्राप्ति कर यह सुनिश्चित करें की इसमें कोई त्रुटि अथवा विसंगति तो व्याप्त नहीं है, की स्थिति पर अपना अभिमत/टीप उपलब्ध करायें।

(iii) ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली अनुसार पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या 39,396 है। जिनमें भोपाल संभाग के 6033, इंदौर संभाग के 9117, उज्जैन संभाग के 7007, ग्वालियर संभाग के 7482, सागर संभाग के 2873, जबलपुर संभाग के 5328 एवं रीवा संभाग के 1556

व्यापारी हैं। अतः सभी आंचलिक प्रभारी मासिक प्रतिवेदन में संसूचित की गई लायसेंसी व्यापारियों की संख्या से इसका मिलान कर समाधान करें।

(iv) सभी अंचल प्रभारी ई–अनुज्ञा प्रणाली का उपयोग कर प्रारुप–10 की डिलीट/संशोधन दैनिक रिपोर्ट नियमित रुप से प्राप्त करें एवं लंबित आवेदनों का परीक्षण कर त्वरित निराकरण की कार्यवाही करें।

साथ ही 'अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का "डिलीट/संशोधन" रिपोर्ट एवं ई–अनुज्ञा पत्र में पुस्तक/पृष्ठ कमांक संशोधन की रिपोर्ट नियमित एवं दैनिक रुप से प्राप्त की जाये एवं परीक्षण उपरांत लंबित आवेदनों के त्वरित निवारण की कार्यवाही करें।

(v) अंतर्राज्यीय नाकों पर प्राप्त अनुज्ञा पत्रों में दर्ज जानकारी गलत पाई जाती है तो उपरोक्त स्थिति की त्वरित जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(vi) सभी संभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि ई–अनुज्ञा पत्र मॉडयूल को दिनांक 26 जनवरी 2018 से ऑनलाईन किया जाना है अतः मण्डी स्तर पर आवश्यक हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ डाटा एण्ट्री आप्रेटर की व्यवस्था अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कर रखें।

- प्रतिदिन सायं 07.00 बजे रेडियो(आकाशवाणी केन्द्र) के माध्यम से जिन्सों के रेट प्रसारित किये जावेंगे।
- मण्डी बोर्ड की पूर्व में लांच की गई बेवसाइट को नये स्वरूप में विकसित कर अद्यतन किया जा रहा है।

(02) <u>नियमन शाखा–</u>

1. <u>**आय–आवक की समीक्षाः–**</u> आपके अंचल की जिन कृषि उपज मण्डी समितियों की वित्तीय वर्ष 2016–17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 (जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2018) दिसम्बर 2017 में सोयाबीन की आवक नगण्य हो जायेगी एवं अन्य जिन्सों की आवक के आधार पर आय का 30 प्रतिशत अधिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारण किया जाये। साथ ही लक्ष्य निर्धारण में कमी पाई जाने वाली मण्डी समितियों के सचिवों को अपने स्तर से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाकर संबधितों से उत्तर प्राप्त कर आचंलिक कार्यालय स्तर पर परीक्षण करें।

आपके संभाग के संबधित मण्डी सचिवो के उत्तर परीक्षण उपरांत समाधानकारक पाये जाने पर उसका ठोस आधार अपने स्पष्ट अभिमत के साथ मुख्यालय को भेजा जाये। जिन मण्डी सचिवों के उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाते है उनके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने की समुचित आधार पर अनुशंसा मुख्यालय को एकजाई/तुलनात्मक पत्रक में बनाया जाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार पूर्व में निर्देशित किया गया था कि आपके अचॅल की जिन कृषि उपज मण्डी समितियों की वित्तीय वर्ष 2015–16 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में मण्डी फीस से आय 20 प्रतिशत से अधिक कम रही है उन मण्डी सचिवों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत् आपके स्तर से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये जाये और उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्यालय पर उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया था जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

2. विपणन कार्य योजना :– विपणन कार्य के संबंध मे प्रत्येक विडियो कान्फ्रेंसिंग और मासिक समीक्षा बैठक मे निर्देश दिये जाने के उपरान्त जानकारी अप्राप्त है। तत्काल मण्डीवार, जिन्सवार, आवक–आय की क्षेत्र उत्पादन, कृषि उत्पादन, केताओं की स्थिति विपणन का अध्ययन कर, कैचमेन्ट के उत्पादन के परिपेक्ष्य मे मण्डीवार एक प्रपत्र तैयार किया जाये तथा किस–किस मण्डी क्षेत्र में इसका पालन किया जा रहा है किसमें नहीं yes or no में एकजाई कर प्रस्तुत किया जाये। संभागवार समग्र Marketing Plan विपणन तैयार कर दि. 15.01.2018 निर्धारित की गई है उक्त समयावधि को ध्यान में रखा जाये। साथ ही आगामी समीक्षा बैठक में साथ लेकर आये।

3. दैनिक घोषवारा प्राप्त कर समरी मुख्यालय भेजे :–

आंचलिक प्रभारी सभी अधीनस्थ मण्डियों में कृषि उपज विपणन के प्रत्येक स्तर यथा प्रवेश, नीलामी तौल, भुगतान, निकासी व अनुज्ञा की अद्यतन स्थिति के गोशवारा मण्डियों से प्राप्त कर एकजाई समरी बोर्ड मुख्यालय को ई–मेल से नियमित भेजना सुनिश्चित करे। साथ ही अनुबंध निरस्तीकरण की जानकारी, एफ.ए.क्यू उपज की नीलामी, समर्थन मूल्य से ही प्रारंभ करे।

4. वाहन, प्रतिष्ठान निरीक्षण :– मण्डियो मे कृषि उपज के यान, प्रतिष्ठान, गोदाम एवं प्रसंस्करण संयंत्र आदि के सबंध में आपको निर्धारित लक्ष्य में प्रतिमाह 20 प्रकरण वाहन निरीक्षण एवं 20 प्रकरण प्रतिष्ठान निरीक्षण के बनाये जाये परन्तु यह प्रायः देखने में आ रहा है कि आचंलिक जॉच दल एवं मण्डी समितियों द्वारा गठित जॉच दल द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं किये जाने से अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

उक्त कार्यवाही में आगामी माहों में वाहन निरीक्षण एवं प्रतिष्ठान निरीक्षण के कम से कम 30 प्रकरण बनाये जाकर आगामी माह की 05 तारीख तक एजेण्डा के साथ मुख्यालय को प्रेषित करे। माह नवम्बर, 2017 का वाहन प्रतिष्ठान का निरीक्षण प्रगति निम्नानुसार है :–

आचंलिक कार्यालय स्तर से जॉच दल द्वारा बनाये गये प्रकरणों का विवरण :–

क	संभाग का नाम	वाहनों की जॉच	कुल वसूल की गई राशि	प्रतिष्ठानों की जॉच	कुल वसूल की गई राशि
1	भोपाल	01	42125	06	13948
2	इन्दौर	04	744475	07	24552
3	जबलपुर	15	108744	07	निरंक
4	रीवा	06	19556	19	6165

5	ग्वालियर	02	61137	निरंक	निरंक
6	सागर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7	उज्जैन	01	28465	निरंक	निरंक

संभागान्तर्गत मण्डी समितियों द्वारा किये गये वाहन/प्रतिष्ठानों की जॉच का विवरण :–

क	संभाग का नाम	वाहनों की जॉच	कुल वसूल की गई राशि	प्रतिष्ठानों की जॉच	कुल वसूल की गई राशि
1	भोपाल	02	9415	10	97916
2	इन्दौर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	जबलपुर	10	175735	02	45547
4	रीवा	15	229208	11	30010
5	ग्वालियर	01	23800	03	51103
6	सागर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7	उज्जैन	01	18200	14	27401

समस्त संभागों को निर्देश दिये जाने के बावजूद भी अवैध परिवहन पर अंकुश तथा प्रतिष्ठान के निरीक्षणों पर विशेष ध्यान नहीं दिये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

5. **कृषक भुगतान व मण्डी फीस प्राप्ति उपरांत ही अनुज्ञा जारी हो :–**

मण्डी फीस व कृषकों का भुगतान प्राप्ति कर ही अनुज्ञा पत्र जारी हो व मण्डी फीस से छूट हेतु प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र जारी करने पर मण्डी फीस प्राप्ति का सत्यापन करने के उपरान्त ही अन्य अनुज्ञा पत्र अथवा छूट देने की कार्यवाही की जावे। साथ ही इस विषय में कई बार निर्देश देने के उपरांत प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(5.1) वर्ष 2001–02 से नवंबर 2017 तक कुल लगभग 1.939 करोड़ अनुज्ञा पत्र मंडी समिति द्वारा जारी किये गये।

(5.2) कुल जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों में से मंडियों को सत्यापन हेतु कुल लगभग 1.841 करोड़ अनुज्ञा पत्र प्राप्त हुए।

(5.3) सत्यापन हेतु जो अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वे लगभग 9.81 लाख हैं जिसमें से संभाग के अन्दर से लगभग 1.71 लाख, संभाग के बाहर से परन्तु प्रदेश के अन्दर से लगभग 1.70 लाख और राज्य के बाहर से लगभग 6.33 लाख अनुज्ञा पत्र प्राप्त होना अभी भी शेष हैं।

(5.4) तीन माह से अधिक पुराने अनुज्ञा पत्र जो सत्यापन हेतु प्राप्त होना शेष हैं, उनकी संख्या लगभग 3.80 लाख है और छः माह से पुराने अनुज्ञा पत्र जो सत्यापन हेतु प्राप्त होना शेष हैं उनकी संख्या लगभग 5.01 लाख शेष है।

(5.5) राज्य के बाहर के अनुज्ञा पत्रों की संख्या यदि उपरोक्त अप्राप्त पत्रों से हटा दी जाये तो लगभग 3.42 लाख अनुज्ञा पत्र संभाग के अन्दर या संभाग के बाहर से अभी भी सत्यापन हेतु प्राप्त होना शेष है।

आपके संभाग अंतर्गत जिन मंडियो मे अनुज्ञा पत्र का सत्यापन शेष है। उक्त मण्डी सचिवों को यह निर्देशित करें कि अनुज्ञा पत्र सत्यापन की जानकारी आंचलिक स्तर पर माह में दो बार बैठक बुलाई जाकर उसकी सतत् मॉनिटरिंग की जाये जिस स्तर पर अनुज्ञा पत्र सत्यापन हेतु शेष है। उक्त मण्डी समिति के आंचलिक प्रभारियों को अपने स्तर से पत्र जारी कर अनुज्ञा पत्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाये। जिस अनुज्ञा–पत्र सत्यापन कर्मचारी की कार्यवाही की जाना शेष रही हो, उनके विरूद्ध कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन मासिक बैठक में साथ लेकर आये। अनुज्ञा पत्र निरस्त किये गये हो तो उसकी जानकारी साथ ही भेजे।

6. <u>अन्तर्राज्जीय सीमा जॉच चौकियों के सबंध में</u> :– संभाग के अर्न्तगत स्थापित अन्तर्राज्जीय सीमा जॉच चौकियों का प्रभावी सत्यापन कर गत वर्ष इस माह एवं इस वर्ष इस माह प्रदेश के प्रवेश/निर्गम वाहनों की जानकारी के सबंध में पत्र दिनांक 06.10.2017 से गत वर्ष इस माह आय में वृद्धि एवं प्रोग्रेसिव वृद्धि की निर्धारित प्रपत्र में हर माह की 05 तारीख तक प्रकरणवार जानकारी चाही गई थी जो किसी भी संभाग से अप्राप्त होने से अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

अन्तर्राज्जीय सीमा जॉच चौकियों में पदस्थ अमले का निरंतर चक्र–पद्धति से ड्यूटी लगाई जाये। साथ ही समय–समय पर यह भी मॉनिटरिंग करे कि वहॉ पदस्थ अमले अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित है और विधिवत आवक–जावक रजिस्टर में इन्द्राज किया जा रहा है।

7. <u>फर्जी अनुज्ञा पत्रः–</u> फर्जी अनुज्ञा–पत्र के संबंध मे जारी परिपत्र दिनांक 14.8.13 में उल्लेखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण मे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों/ संबंधित फर्म के विरूद्ध मंडी द्वारा पांच गुना राशि वसूल करने की कार्यवाही तथा संबंधित फर्म के परिवार एवं रिश्तेदार मण्डी में लाइसेंस प्राप्त कर कारोबार मण्डी में नहीं कर सके इसका भी सत्यापन मण्डी सचिवों से प्राप्त कर मुख्यालय को अवगत कराये।

अतः पुनः सभी आंचंलिक प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मण्डीवार समीक्षा कर उनका प्रतिवेदन सबंधितों के विरूद्ध आरोप पत्र मय दस्तावेजों के साथ अविलम्ब मण्डी बोर्ड को प्रेषित करे।

8. <u>लेखा सत्यापन</u> :–

मंडी अधिनियम,1972 की धारा 20 एवं धारा 21 (1) के प्रावधान अनुसार प्रदेश के प्रत्येक लायसेंसी व्यापारी के द्वारा विगत वर्ष में किये गये संव्यवहार की जानकारी के आधार पर व्यापारी द्वारा प्रेषित वार्षिक विवरणी एवं पाक्षिकी का मंडी के लेखों से मिलान कर मंडी अधिनियम, 1972 के अनुसार लेखा सत्यापन का कार्य किया जाता है। कृषि उपज मंडी समितियों के लेखा सत्यापन का कार्य 31 जुलाई 2017 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे।

वर्तमान में संभागवार अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की कुल संख्या एवं नवंबर 2017 की स्थिति में लंबित लेखा सत्यापन की संख्या निम्नानुसार है :–

क	संभाग का नाम	अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की कुल संख्या	अक्टूबर 2017 की स्थिति में सत्यापन हेतु लंबित लेखों की संख्या	नवंबर 2017 की स्थिति में सत्यापन हेतु लंबित लेखों की संख्या	विगत माह अक्टूबर की तुलना में नवम्बर 2017 मे लेखों का सत्यापन की स्थिति
1	भोपाल	4819	2371	2081	290
2	इन्दौर	7995	4111	3710	401
3	जबलपुर	4828	2943	2807	136
4	रीवा	1572	511	392	119
5	ग्वालियर	6926	4293	3522	771
6	सागर	2433	1095	1054	41
7	उज्जैन	6392	2980	2712	268
	योग :–	34965	18304	16278	2026

विशेष रूप से इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, और रीवा संभागों में लेखा सत्यापन के कार्य में आशा अनुसार प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है।

लेखों का पुनर्सत्यापन :– प्रमुख 10 प्रतिशत फर्मो के लेखो का पुनर्सत्यापन आंचलिक कार्यालय स्तर से टीम गठित कर पूर्ण किया जाकर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

9. फल सब्जी:– मण्डी समितियों में फल–सब्जी विपणन के लिये अधिसूचित करने के प्रस्ताव चाहे गये थे। जिसके सबंध में इस कार्यालय के पत्र के साथ अग्रेषित प्रश्नावली अनुसार आवश्यक प्रस्ताव मण्डी बोर्ड को प्रेषित किया जाना था।

प्रदेश की 171 मण्डी फल सब्जी विपणन व्यवस्था के लिये अधिसूचित की गई है संभागवार जानकारी निम्नानुसार है :–

भोपालः– 31, इंदौरः–24, उज्जैनः–40, ग्वालियरः–29, सागरः–11, जबलपुरः–28, रीवाः– 08, कुल योगः– 171

संभागवार फल–सब्जी विपणन के लिये अधिसूचित होने के लिये शेष मण्डियों का विवरण निम्नानुसार है :–

भोपालः– 18, इंदौरः–08, उज्जैनः–02, ग्वालियरः–16, सागरः–25, जबलपुरः–05, रीवाः– 10, कुल योगः– 84

पुनः समस्त आंचलिक प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे मण्डी व समीक्षा कर इनका पालन प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के माध्यम से नवीन मण्डी अधिसूचित करने के लिये और अधोसंरचना उन्नयन का प्रस्ताव यांत्रिकी शाखा के माध्यम से अविलंब मण्डी बोर्ड को प्रेषित करें।

10. **मण्डियों में कृषकों को भुगतान की जानकारी देवे :–**

मंडियो में कैशलेश–आरटीजीएस/नेफ्ट व नगद के माध्यम से कितना–कितना भुगतान हुआ की भारत सरकार के प्रारूप में तुरंत प्रति सप्ताह जानकारी उपलब्ध करावे।

11. **सांवरिया एग्रों से सबंधित वसूली की कार्यवाहियां शीघ्र पूर्ण करावे :–**

मेसर्स सांवरिया एग्रो एवं अनिल अग्रवाल की विभिन्न कंपनियों के द्वारा क्रय कृषि उपज के निर्गमन के लिये मण्डी अनुज्ञा पत्र प्ररूप–9 (अ) के संबंध मे बार–बार स्मरण कराये जाने के बाबजूद अप्राप्त है। इस प्रकरण में संलिप्त पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के कारण बताओं सूचना पत्र के प्राप्त उत्तरों पर आचंलिक कार्यालय उज्जैन एवं भोपाल से अभिमत चाहा गया है। जो अप्राप्त है इसके साथ ही न्यायालय से स्थगन आदि रिक्त कराकर बकाया वसूली पूर्ण करा चाहा गया प्रतिवेदन अप्राप्त होने से शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

12. **हम्माल–तुलावटी के सबंध में :–**सभी आंचलिक प्रभारियों से उनके अंचल की मण्डी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल/तुलावटियों की वर्तमान में प्रचलित हम्माली व तुलावटी दरे प्राप्त हुई है, हम्माल/तुलावटियों की दरों के लिये एक समान दरें निर्धारित किये जाने के ज्ञापन मुख्यालय में प्राप्त हो रहे है। सभी आचंलिक प्रभारियों से चर्चा के लिये प्रस्ताव समयावधि में शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही प्रसंस्करणकर्ता, तुलावटी, हम्माल, परिवहनकर्ता, कमीशन एजेण्ट, क्रय केन्द्र की मण्डीवार लायसेंस संख्या बनाई जाये।

13. **ग्रामीण हाट बाजार** :–भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्राथमिक बाजार जिनमें कि दैनिक/साप्तहिक/पाक्षिक तथा अन्य नियत अवधियों में लगने वाले ग्रामीण हाट बाजार या विशेष कृषि उत्पाद विक्रय के अवधिक बाजार आदि जोकि विभिन्न स्थानीय निकायों के नियंत्रण अथवा सहयोग से कार्यरत है कि बिन्दुवार जानकारी तैयार कर तत्काल भिजवाये।

14. **बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटोंः–** पर तौल कराने हेतु सभी संबंधित पक्षों को बुलाकर बैठक आहूत करें। आचंलिक प्रभारी अपने अंचल की मण्डी समितियों में कृषको द्वारा मण्डी प्रागंण में लाई गई कृषि उपज विक्रय हेतु लाई जाती है उनका तौल कार्य इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों से ही कराया जाये। इसको सख्ती से पांबद किया जाये तथा दिनांक 30.04.2017 तक उनके संभाग की कृषि उपज मण्डीयों से कृषि उपज की तौल इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटो से कराई जा रही हैं, उसका सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।

15. **खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की छूट का लगातार सत्यापन करे :–**

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को मण्डी फीस से छूट पर पात्रता के सत्यापन कराने के पत्र दिनांक 17.01.17 से निर्देश है। विडियों कॉन्फेंसिंग एवं आगामी आचंलिक प्रभारियों की मासिक समीक्षा बैठको में भी स्मरण कराया गया है। अतः सत्यापन कर प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध करावे।

16. <u>आयातित दलहन पर छूट का सत्यापन करे</u> :–

आयातित दलहन पर गत वर्षो में प्राप्त मंडी फीस से छूट की पात्रता का आंचलिक कार्यालय स्तर से तुरंत विशेष ऑडिट कर सत्यापन करावे व प्रतिवेदन भेजे व समीक्षा बैठक में साथ लेकर आये।

17. <u>निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण के सबंध में</u>:–

विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध मे पत्रो के माध्यम से जानकारी चाही गई थी जो अप्राप्त है उन लंबित/वसूली योग्य निराश्रित सहायता राशि की जानकारी संकलित करे व निराश्रित सहायता राशि के संबंध मे विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3636 पर निर्मित आश्वासन कमांक 1450 की जानकारी मात्र जबलपुर संभाग की कृषि उपज मण्डी समिति कटनी की जानकारी प्रचलन में बताई गई थी, उक्त जानकारी तत्काल संकलित कर निर्धारित प्रारूप मे भेजे।

18. <u>उपार्जन के सबंध में</u> :– उर्पाजन का कार्य समाप्त हो गया है परन्तु उपार्जन संस्थाओं से पूर्ण मण्डी फीस प्राप्त हो गई है, उसका सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

19. <u>एफ.पी.ओ. के सबंध में</u> :–मध्य भारत कंर्सोटियम फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन/ फारमर्स प्रोड्यूसर कंपनी को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार मण्डी अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने के निर्देश जारी किये गये थे तथा साथ ही दिनांक 02.11.2017 में सूची संलग्न की गई थी। अत: सूची में उल्लेखित आपके अंचल की मण्डी समितियों में प्राथमिकता के आधार पर मण्डी अधिनियम, उपविधि तथा नियमों में दी गई प्रकिया का पालन करते हुये दिनांक 30.12. 2017 तक अनुज्ञप्ति प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करे, इसका पालन नहीं करने वाले सचिवों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिनांक 01 जनवरी 2018 तक उपलब्ध कराये। इसके अतिरिक्त उनको कृषि उपज के गोदाम उपलब्ध करायें जाने की व्यवस्था करें।

20. <u>भू–राजस्व की वसूली के सबंध में</u> :–

मण्डी फीस की भू–राजस्व के समान वसूली बकाया है की समीक्षा कर मण्डी स्तर पर की गई कार्यवाही में गति लाये तथा उसका प्रतिवेदन आगामी मासिक समीक्षा बैठक में साथ लाये।

भोपाल संभाग द्वारा 3665/– इन्दौर संभाग द्वारा 2000/–राशि वसूल की गई है। शेष जबलपुर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर एवं सागर संभाग द्वारा वसूली कार्यवाही *निरंक है।*

21. <u>अक्रियाशील मण्डियों/उपमण्डियों के सबंध में</u> :–

कृषि उपज मण्डी समितियों एवं उपमण्डियों में प्रभावी नियमन व्यवस्था लागू कर क्रियाशील करने के सबंध में समय–समय पर निर्देश दिये गये है। इसकी समीक्षा के दौरान यह पाया गया है, कि प्रदेश की कतिपय उपमण्डी प्रागंणों में आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध होने पर भी नियमित रूप से कृषि उपज का घोष नीलामी द्वारा क्रय–विक्रय नहीं हो रहा है। ऐसी मण्डी/उपमण्डियों में सुचारू नियमन व्यवस्था के अभाव में घोष विक्रय नहीं होने से कृषकों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इस हेतु आपके अंचल की बन्द पड़ी हुई अक्रियाशील उपमण्डी को शीघ्र प्रांरभ कराई जाकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये।

21. <u>प्रत्येक संभाग की प्रमुख मण्डियों को आदर्श बनाना</u> :–आपके अचंल की प्रमुख मण्डीयों को आदर्श बनाये जाने की कार्यवाही की जाये।

22. क्रय केन्द्र उपविधि 27–36 अध्याय–5/सौदा पत्रक से क्रय–विक्रय (ड)/16 उपविधि/16 उपविधि/कान्ट्रेक्ट फार्मिंग विवरण उपविधि 38/42/सिगल लायसेंस की क्रय–विक्रय 2009, आदि में की गई कार्यवाही विवरण। मण्डी क्षेत्र के बाहार सौदा पत्रक, क्रय केन्द्र, सिंगल लायसेंस से क्रय–विक्रय की सूची तैयार की जाये तथा आगामी मासिक समीक्षा बैठक हेतु साथ लाये।

23. <u>विधान सभा आश्वासनः</u>– विधान सभाओं पर निर्मित आश्वासन में जबलपुर संभाग स्तर से 08, उज्जैन संभाग–05, भोपाल संभाग–04 लंबित होने के कारण समय पर उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, इस हेतु कई बार पत्रों के माध्यम से तथा आचंलिक मासिक समीक्षा बैठकों में भी अवगत कराया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर आश्वासन की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

24. <u>वरिष्ठालय द्वारा चाही गई जानकारी</u> :– प्रायः देखने में आया है कि वरिष्ठालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, जन–शिकायत निवारण विभाग, माननीय मंत्री एवं माननीय विधायक तथा समय–सीमा में लंबित पत्रों पर जॉच प्रतिवेदन, पालन प्रतिवेदन की जानकारी इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन एवं रीवा से समय पर प्राप्त नहीं होने से अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये।

25. <u>सी.एम.हेल्पलाइन के सबंध मेः–</u>

सी.एम.हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों में एल–1 एवं एल–2 के स्तर पर ही शिकायतों का त्वरित निराकरण कराया जाये।

24. <u>नमी मापक यंत्र</u> :– मण्डियों में नमी मापक यंत्र चालू स्थिति में रखा जाये। मण्डियों में यंत्र खराब होने की स्थिति में नमी मापक यंत्र क्रय करने हेतु नियमानुसार प्रकिया का पालन करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मण्डियों में आने वाली जिन्स माइश्चर मशीन से चेक करने के उपरान्त ही जिन्स की मात्रा कम्प्यूटर में दर्ज की जावे।

(03) <u>मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना</u>–

- समस्त ऑचलिक संयुक्त/उप संचालकों को अवगत कराया गया कि मूंगफली, तिल, रामतिल, मूंग के विक्रय के लिये निर्धारित अवधि 15 दिसम्बर 2017 को समाप्त हो गई है जिनके विक्रय संव्यवहारों की प्रविष्टियां एवं सत्यापन के लिये समय सीमा दिनांक 22.12.2017 पूर्ण हो जाने से पोर्टल फीज हो गया है। उडद के विक्रय हेतु समय–सीमा 22 दिसम्बर 2017 को समाप्त हो गई जिसके विक्रय संव्यवहारों को पोर्टल पर दर्ज एवं सत्यापित करने के लिये समय–सीमा 30.12.2017 तक निर्धारित की गयी है। इसके बाद पोर्टल बन्द हो जायेगा। इस संबंध में संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा बताया गया कि

मंडी करैरा में मूंगफली के विक्रय संव्यवहार की लगभग 400 प्रविष्टियां दर्ज होना शेष रह गई है। अन्य ऑचलिक अधिकारियों द्वारा भी उनके संभाग में ऐसी स्थिति की संभावना व्यक्त की गयी है। प्रबंध संचालक महोदय द्वारा ऑचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से उपरोक्तानुसार पोर्टल पर छूटी हुई जानकारी को दर्ज करने, त्रुटि सुधार करने, प्रविष्टि जानकारियों का सत्यापन एवं संशोधन आदि सुधार के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कियान्वयन समिति को मूल दस्तावेजों का परीक्षण कर अनुमति देने हेतु प्राधिकृत किया गया है और पोर्टल को दिनांक 30 दिसम्बर 2017 तक के लिये खोला जा चुका है। अतः इस प्रकिया से समस्त कार्यवाहियों को दिनांक 30.12.2017 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाये। साथ ही ध्यान भी आकर्षित किया गया कि सोयाबीन की विक्रय समय–सीमा 31.12.2017 को समाप्त हो जायेगी। इसके विक्रय संव्यवहारों को पोर्टल पर दर्ज एवं सत्यापन करने के लिये पोर्टल 06 जनवरी 2018 तक खुला रहेगा। इस अवधि में प्रत्येक मंडी समिति में भावांतर के विक्रय संव्यवहारों को शुद्धता एवं प्रमाणिकता से दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाये।

- 16 से 31 अक्टूबर की अवधि के 1016 सौदों में भोपाल संभाग के 111, इन्दौर संभाग के 127, उज्जैन संभाग के 694, ग्वालियर संभाग के 30, सागर संभाग के 25 एवं जबलपुर संभाग के 29 का भुगतान शेष है, जिनकी विसंगतियों पर निराकरण कर 31.12.2017 तक भुगतान पूर्ण कराया जाये।

- 16 से 31 अक्टूबर 2017 की अवधि के पात्र किसानों का 31.12.2017 तक भुगतान किया जाकर शेष राशि मंडी बोर्ड को वापस लौटाई जाये।

- 16 से 31 अक्टूबर 2017 की अवधि के विक्रय संव्यवहारों की शुद्ध प्रविष्टियां करने तथा दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन के मंडी सचिवों से प्रमाणपत्र चाहे गये थे जो केवल 90 मंडियों से प्राप्त हुये है। जिन मंडी सचिवों के प्रमाणपत्र अप्राप्त है उनकी सूची ऑचलिक अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। अतः शेष प्रमाणपत्र संकलित कर दिनांक 06.01. 2018 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराये जाये।

- NIC द्वारा 16 से 31 अक्टूबर 2017 तक पोर्टल पर ऐसे पंजीकृत किसानों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिन्होंने एक से अधिक सौदों में चयनित फसल का विक्रय किया है अथवा पंजीकरण कराने वाले जिले के बाहर अन्य जिले की मंडी में उपज बेची गई है। अतः ऐसे प्रकरणों का मूल रिकार्ड एवं संबंधित मंडी से सत्यापन कराने के बाद ही योजना में निर्धारित सीमा तक भावांतर की गणना एवं भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

- 15 नवम्बर से 25 नवम्बर 2017 तक पंजीयन कराने वाले किसानों को 7 की सीरीज का पंजीयन कमांक आवंटित किया गया है इनके प्रकरणों की समीक्षा में विशेष सावधानी बरती

जाये और संबंधित किसान द्वारा आधार कार्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर ही उसकी उपज का विक्रय कराया जाये।

- जिसमें एक अधिक किसानों के भुगतान हेतु उनका बैंक खाता कमांक समान है अथवा एक से अधिक किसानों का आधार कार्ड नंबर समान है ऐसे समस्त प्रकरणों के परीक्षण में भी विशेष सतर्कता बरती जाये।

- 01 से 30 नवम्बर 2017 की पोर्टल पर एन.आई.सी. द्वारा दी गयी सूची सांकेतिक तथा अनुमानित है, इसकी जानकारी का मूल दस्तावेजों के आधार पर तथा योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्रता का निर्धारण कर ही भावान्तर की गणना और भुगतान किया जाये।

- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरांत स्वीकृत किय गये तथा भुगतान के निर्णय की स्थिति में उप संचालक कृषि तथा जिला मुख्यालय के मंडी सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर संपूर्ण सूची पर किये जावेंगे। समस्त ऑचलिक अधिकारियों द्वारा उपरांकित औपचारिकताओं को पूर्ण करवाकर विधिवत् रिकार्ड का संधारण सुनिश्चित किया जाये।

- भावांतर भुगतान योजना में भुगतान संबंधी शिकायत होने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा राशि उसके खाते में जमा होने के 15 दिवस में जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है, जिसका संबंधित कलेक्टर द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से 10 दिवस में निराकरण कर आवेदक को संसूचित किया जाये। इन प्रकरणों में विक्रय संव्यवहार अथवा भुगतान संबंधी शिकायतों मंडी स्तर पर मूल दस्तावेजों से परीक्षण उपरांत तत्परता से निराकरण कराया जाये।

- इस संबंध में सी.एम. हेल्पलाईन शाखा द्वारा बताया गया कि भावांतर के भुगतान से संबंधित बहुत सी शिकायतों में एल–1 तथा एल–2 के स्तर पर जानकारियां निर्धारित समयावधि में इन्द्राज नहीं करने से वह मुख्यालय स्तर पर आ रही है। इस संबंध में समस्त ऑचलिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर प्रकरणों के यथासंभव मंडी एवं ऑचलिक कार्यालय स्तर पर निराकरण में गति लाई जाये।

- योजना में चयनित फसलों के विक्रय हेतु अंतिम तिथि को मण्डी प्रांगण में अधिक आवक होने के कारण उसी दिन घोष नीलामी द्वारा विक्रय संभव नहीं होने पर मण्डी प्रांगण में उपस्थित शेष पंजीकृत किसानों को उस फसल विशेष के लिए टोकन प्रदान किये जाये और ऐसे टोकन धारक पंजीकृत किसानों की उपज को दूसरे दिन नीलामी द्वारा विक्रय करना सुनिश्चित किया जाये।